प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 दिसंबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 19 कारागारों पर सी0सी0टी0वी0, सर्वर, ऑनलाइन यू0पी0एस0 व अन्य सहवर्ती उपकरणों हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति एवं क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28284/आधु-1/19-जेल,सीसीटीवी/23-24, दिनांक 18-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष-2023-24 में शासनादेश संख्या-2/2024/920/001-22-4-2022-1754114, दिनाँक 04.01.2024 द्वारा विभिन्न उपकरणों के साथ प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु धनराशि रू0 641.135 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-26/2024/268/ 22-4-2024-1799661, दिनाँक 16.03.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में "श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये स्वीकृत धनराशि रू0 641.135 लाख का 40 प्रतिशत अर्थात् धनराशि रू0 256.454 लाख का अग्रिम भुगतान श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों हेतु अवशेष धनराशि/लम्बित दायित्व के भुगतान हेतु एल-1 पायी गयी फर्म M/S Cincentrica Enterprises Pvt. Ltd. एवं श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड के 05 प्रतिशत सेन्टेज के साथ आंकलित कुल धनराशि रू0 6,40,26,348.75 में से भुगतानित राशि रू0 2,56,45,400.00 की कटौती के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 3,83,80,948.75 अर्थात् **रू0 3,83,80,949/-(रूपया तीन करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ उन्चास मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति एवं क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/2024/920/001-22-4-2022-1754114, दिनाँक 04.01.2024 एवं शासनादेश संख्या-26/2024/268/ 22-4-2024-1799661, दिनाँक 16.03.2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

(5) प्रश्नगत क्रय केन्द्रीयकृत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों से संबन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0/2017, दिनांक-15 जनवरी, 2018 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(6) उपकरणों/मशीनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक- 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(7) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(8) क्रय की जाने वाली सामग्री की बिडिंग प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी तथा उनके द्वारा आफर किये गये उत्पाद एवं ब्राण्ड के सम्बन्ध में निर्धारित गाइड-लाइन्स के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(9) आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

(10) क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय / भौतिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(11) प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर, आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,83,80,949 (रुपये तीन करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ उनचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-62/2024-884-22-4-2024-1799661, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड।

(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।